

FORM No. III

Crime-I

फर्द अहकाम



(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर. मुकाम...खीवसर...

कस्म मुकदमा...प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

गेनाराम बनाम सुखाराम

मु. नं. 117 सन्. 2022.

पेश हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	<p>प्रार्थी ने जरीये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से वास्ते जबाबदेही बाबत तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर खीवसर </p> <p>16/11/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पीतापीन अधिकारी जी मीटिंग में / भाषणा/में है / प्रथम/नवम्बर हो चुका है / अन्वेषण पर मंगलवार 16/11/22 को पत्रावली आगामी दिनांक को 30/11/22 को पेश होगी।</p> <p>30/11/22</p> <p>पत्रावली पेश । वबुलाभा उपर । व बीलवादी रूप ही नोटिस प्रेषणा पेश करे जो सस्प हैइ जारी हो। पत्रावली प्रेषणा हैइ दिनांक 6/12/22 को पेश हो ।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर SDO, खीवसर </p> <p>6/12/22</p> <p>पत्रावली पेश । वबुलाभा उपर । वादी एवं प्रेषणा को धार-धार लगायत</p>	

→ जामलत कोर्ट में आवाप दिलवाती गयी।
मगर जैर हाजिर। बार-बार आवाप दिने जाते
के बावजूद भी जामलत कोर्ट में कोर्टी भी उपस्थित
नही होने के कारण इसके विरुद्ध कुछ दलील काईवादी-
अमल में जारी जारी हैं। वकीलवादी ने निवेदन को-
अमल कि सब में इस प्रकरण में पेंरवी रही कुला-
सादत इ गवा पत्रावली को खारिज कलवाता थादत-
हू। अतः वकीलवादी के निवेदन पर उक्त प्रकरण
को अदत पेंरवी- अदत हाजरी में खारिज किम प्रागर्ह
वादी के निवेदन पर पुन Restore/Reopen किमाम
करवा है।

पत्रावली फंशल शुमार होकर नबखर ले उम
होकर बाद जाहा कारिल फकर में।

सहायक कलेक्टर
(SDO), खीसर